रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1990/श्रावण 10, 1912
No. 321] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1990/SRAVANA 10, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1990

सं. 31/90-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी)

सा.का.नि. 692 (अ) :— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना है) साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उपशीर्ष 8312 12 के अन्तर्गत आने वाले धातु

के आधानों के पुर्जों पर, जिनका उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 59/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 फरवरी, 1986 के अधीन छूट प्राप्त धातु के आधानों के विनिर्माण में किया जाता है, उत्पाद-शुल्क, 28 फरवरी, 1986 को प्रारंभ होने वाली और 10 जून 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रथम वर्णित अधिनियम, की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहीत नहीं किया गया था ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्रथम वर्णित अधिनियम, की धारा 11C द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर, धातु के आधानों के ऐसे पुर्जों पर, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन संदेय समस्त-उत्पाद-शुल्क का, धातु के आधानों के ऐसे पुर्जों की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन पर उक्त उत्पाद-शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार, पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया गया था ।

[फा. सं. 164/4/87-सी एक्स 4]

ए. एन. शर्मा अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1990

No. 31-Central Excises (NT)

G.S.R. 692(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on parts of metal containers falling under sub-heading 8312.12 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), and used in the manufacture of metal containers exempted under Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue Notification No. 59/86-Central Excise dated the 10th February, 1986, was not being levied under Section 3 of the first mentioned Act during the period commencing on the 28th day of February, 1986 and ending with the 10th day of June, 1987.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 11C of the first mentioned Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under the first mentioned Act on such parts of metal containers, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such parts of metal containers, on which the said duty of excise was not levied during the period aforesaid in accordance with the said practice.

[F. No. 164/4/87-CX.4]

A. N. SHARMA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.